

संरपच व पंचायत के सदस्य के रूप में कर्तव्य

- जटिल प्रसव वाली महिलाओं को तत्काल उचित स्वास्थ्य केन्द्र/ अस्पताल पर पहुँचाने के लिए परिवहन अनुदान का उपयोग करें।
- आपातकालीन स्वास्थ्य सम्बन्धित जटिलताओं के लिए सार्वजनिक व निजी स्वास्थ्य केन्द्रों का पता एवं फोन नंबर अपने पास रखें।
- सुनिश्चित करें कि, महिला पंचायत सदस्यों, सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणालियों व पंचायती ढाँचे के साथ अपने संबंध के बारे में अवगत हों।
- समुदाय की सक्रिय भागीदारी में समग्र गाँव को स्वच्छ रखें। अगर गाँव में संक्रामक बीमारियाँ फैली हों तो उनकी रोकथाम हेतु तत्काल कदम उठाएँ।
- आपके गाँव में स्वास्थ्य कार्यक्रमों/सेवाओं का प्रभावी संचालन हो इसलिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ सम्बन्ध प्रस्थापित करें।
- कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु समुदाय के परिवारों को, लड़को/पुरुषों तथा लड़कियों/महिलाओं के बीच आहार भेद न रखने हेतु संवेदनशील बनायें।
- जिसमें लौहतत्त्व ज्यादा मात्रा में हों, ऐसी स्थानिक रूप से उपलब्ध पैदावार के बारे में जानकारी एकत्रित करके, किसानों को वे अधिक मात्रा में उगाने के लिए प्रोत्साहित करें और समुदाय को उनका रोजमर्रा के आहार में उपयोग करने हेतु सलाह दें।

परियोजना में जनप्रतिनिधियों का योगदान

- विभिन्न समितियों में सदस्य – डी.पी.एम.सी., जिला अस्पताल जैविक अपशिष्ट प्रबन्धन समिति, टास्क फोर्स (जन जातीय क्षेत्र), अस्पताल गुणवत्ता समिति। बैठक में भाग लेकर जन समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराना व जनसमस्याओं के निराकरण में अग्रणी भूमिका निभाना
- स्थानीय समस्याओं के निवारण में सहयोग। जैविक अपशिष्ट निस्तारण व स्वच्छता के लिए जागरूकता लाने में सहयोग।
- स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं जनप्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संस्थाओं, निजी क्षेत्र, व अन्य संभागों के मध्य बेहतर तालमेल एवं भागीदारी को बढ़ावा देना व जनता के मध्य प्रचार-प्रसार के सबसे शक्ति माध्यम एवं सम्पर्क सूत्र के रूप में